न्यायालय न्यायिक मजि0,घाटमपुर,कानपुर देहात।

फौजदारी वाद सं. 1000/16

सरकार बनाम मुन्ना उर्फ भुपेन्द्र आदि।

धारा 323,324,504,506 भा0द0सं0

थाना घाटमपुर,कानपुर नगर।

आरोप

मै, विजय कुमार, न्यायिक मजि0,घाटमपुर,कानपुर देहात आप अभियुक्तगण मुन्ना उर्फ भूपेन्द्र एवं पप्पू उर्फ योगेन्द्र को एतद द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करता हू।

1– यह कि दिनांक 17.08.15 को समय करीब 13.30 बजे वहद स्थान धौकलपुर थाना घाटमपुर कानपुर नगर मे आप लोगो ने सामान्य आशय की पूर्ति हेतु वादिनी मुकदमा को मारपीट कर स्वेच्छया से साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगो ने भा0द0सं. की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादिनी मुकदमा को धारदार हथियार से मार कर स्वेच्छया से साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगो ने भा0द0सं. की धारा 324 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा को गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0सं. की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपने भा0द0सं. की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतद द्वारा आप लोगो को निर्देशित किया जाता है कि आप लोगो का विचारण उपरोक्त आरोपो से इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

दिनांक 24.7.17 (विजय कुमार),

न्यायिक मजि0,घाटमपुर,

कानपुर देहात।

आरोप पढकर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक 24.7.17

(विजय कुमार),

न्यायिक मजि0,घाटमपुर,

कानपुर देहात।